

आर्थिक कमजोर ( Econococaly Weaker Section) वर्गों के व्यक्तियों को  
Income & Assest Certificate जारी करने के संबंध में अनुमोदित प्रारूप

जाँच रिपोर्ट ग्राम पंचायत पंचायत समिति

आवेदक जिनके पास ग्राम पंचायत का विक्रय विलेख (पट्टा) उपलब्ध है एवं जिनके पास  
ग्राम पंचायत का विक्रय विलेख (पट्टा) उपलब्ध नहीं (दोनों के लिए)

कमांक

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए विवरणानुसार एवं दस्तावेजों  
के आधार पर तथा मोके पर कि गई जांच के अनुसार श्री/श्रीमती/कूमारी पुत्र/पत्नी  
पुत्री/श्री श्रीमती ग्राम ग्राम पंचायत तहसील जिला  
का/की निवासी है तथा

1. यह है कि ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्राथी प्राथी के परिवार के  
(पिता/माता/पुत्र/पत्नी/स्वयं) श्री/श्रीमती/कूमारी पुत्र/पत्नी  
पुत्री/श्री श्रीमती के नाम ग्राम पंचायत पंचायत समिति द्वारा  
वर्ग गज वर्ग मीटर का विक्रय विलेख (पट्टा) सख्या दिनांक  
को जारी किया गया है।

2. यह है कि ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्राथी प्राथी के परिवार  
क (पिता/माता/पुत्र/पत्नी/स्वयं) श्री/श्रीमती/कूमारी पुत्र/पत्नी पुत्री/  
श्री श्रीमती के नाम ग्राम पंचायत पंचायत समिति मे  
वर्ग गज/वर्ग मीटर का आवास भूखण्ड है जिसका विक्रय विलेख (पट्टा) जारी नहीं हुआ है।  
जिस पर उसका परिवार काबिज है।

प्राथी का राशन कार्ड सख्या है।

हस्ताक्षर

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत

नोट -उपरोक्त प्रमाण पत्र के बिन्दू सख्या 1 व 2 में अंकित विवरण में यदि आवास भूखण्ड  
उपलब्ध नहीं है। उसमें अंकित किया जावे।

राजस्थान सरकार

ग्रामिण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

कमांक -एफ 28( )पंरावि/प्रशा-2/ग्राविअ/आय-पट्टा प्र.प/2019/1756 जयपूर दिनांक 09.05.19  
प्रतिलिपि मुख्य /अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को सामाजिक न्याय एवं  
अधिकारिता विभाग तथा पंचायती राज विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्रारूप आवश्यक  
कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सुनील शर्मा)

संयुक्त सचिव एवं  
संयुक्त आयुक्त